



राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं
एनआरएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक :- एफ () / एन.एच.एम. / भामा.स्वा.बीमा योजना / 2015-16 / 4991

दिनांक : 24.11.15

संशोधित बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 22/11/2015 को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक :- एफ () / एन.एच.एम. / भामा.स्वा.बीमा योजना / 2015-16 / sp-4 जारी किया गया था। जिसमें उल्लेखित बिन्दु संख्या 13 को निम्नानुसार पढा जाए:-

13. विडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉ. अवतार सिंह दुआ ने बताया कि सॉफ्टवेयर में मरीज से सम्बन्धित सभी प्रविष्टियाँ यथा पहचान, एडमिट / डिस्चार्ज आदि स्वास्थ्य मार्गदर्शक द्वारा मरीज की फाईल से सत्यापित कर एडमिट / डिस्चार्ज के 24 घण्टे के अन्दर इन्द्राज करना आवश्यक है। कुछ विशेष परिस्थितियों में 24 घण्टे के अंदर इन्द्राज ना करने की स्थिति में राज्य स्तर से ही अनुमति प्राप्त कर सॉफ्टवेयर में इन्द्राज किया जा सकेगा। साथ ही डॉक्टर दुआ ने बताया कि एक बार इन्द्राज के उपरान्त इसमें परिवर्तन सम्भव नहीं है। अतः सभी प्रविष्टियाँ सावधानी पूर्वक करना सुनिश्चित करें।

(डॉ. नीरज के. पवन)

अतिरिक्त मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
निदेशक (आई.ई.सी.) एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, एम.डी. आर.आई.एस.एल., राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल., राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, अति. मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य) / (आर.सी.एच) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
13. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक सूचना एवं तकनीकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. सलाहकार आई.एस.सी., एन.एच.एम., राजस्थान, जयपुर।
15. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
16. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
17. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक / जिला लेखा प्रबन्धक, एनएचएम, राजस्थान।
18. प्रभारी सर्वर रूम को मेल बाबत।
19. आदेश / रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
निदेशक (आई.ई.सी.) एवं संयुक्त शासन सचिव